

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - जिला कलक्टर

प्रकरण सं. - ०५/2017 (प्रार्थना पत्र) अपील पंजीयन

मुकाम - भीलवाड़ा

उनवान प्रकरण

- | | | |
|--|------|--|
| 1. जाकीर हुसैन पिता बुन्दु मोहम्मद मंसूरी, निवासी शास्त्रीनगर भीलवाड़ा | बनाम | 1. मोहम्मद इमरान पिता स्व० अब्दुल लतीफ गोरी मेवाफरोश, निवासी पुरानी धानमण्डी, भीलवाड़ा |
| 2. गुलशन बानो पत्नी जाकीर हुसैन मंसूरी, निवासी शास्त्रीनगर भीलवाड़ा | | 2. सलमा पत्नी स्व० अब्दुल लतीफ गोरी मेवाफरोश, निवासी पुरानी धानमण्डी, भीलवाड़ा |
| | | 3. उप पंजीयक महो० उपपंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा |

अपील — प्रार्थी
(प्रार्थना पत्र) अन्तर्गत धारा 73 भारतीय पंजीयन अधिनियम

— रेस्पोंडेन्टगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19/01/2017	प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14/2/2017 को पेश हो।	
14/2/17	पत्रावली पेश हुई। समय सूत्र उपस्थित। पीतासीन अधिवक्ता... 5/2/17... है। अतः पत्रावली... कार्यवाही के लिए दिनांक 6/3/17... को पेश हो।	
6/3/17	आदेश से पत्रावली पेश हुई। समय सूत्र उपस्थित। पीतासीन अधिवक्ता... अन्य कार्यवाही के लिए दिनांक 21/3/17... को पेश हो। आदेश से	
21/3/17	पत्रावली पेश हुई। समय सूत्र उपस्थित। विपक्षी को नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 5/4/17 को पेश हो।	
	जिला कलक्टर भीलवाड़ा	

5⁴
2017

पत्रावली पेश हुई। जिला अधिवापक
संस्था, भीलवाड़ा द्वारा प्रारंभिक कार्य
स्थगित रूप से प्रारंभ किया गया।
आइन्दा कार्य प्रारंभिक कार्य
.....
12/11/2017

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पुनश्च :- इतना लिखने पर अपरार्थी सं. 1 वर की
ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विक्रय पत्र
का पंजीयन कटाने हेतु सहमति पत्र पेश
किया। उमरोस्त अपरार्थीगण को उनके
अधिवक्ता श्री अंसुलबेसल के द्वारा
प्रमाणित किया। पत्रावली में प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को अपरार्थी सं. 1 जाकीर हुसैन
व अपरार्थी सं. 1 वर के अधिवक्ता श्री एसएनएच
सोमानी ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।
अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र दि. 05/11/2017
वाले आदेश दि. 01/04/2017 को पेश है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

15/11/17
Talant...
Adv.

Signature

Signature
(...)

06/04/2017

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।
अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से दिनांक 01/11/2017
को लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर
निकेज किया कि पक्षकारों के मध्य दस्तावेज
पंजीयन को लेकर सहमति। राजीनामा हो गया
जिसे श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया है।
अतः राजीनामा स्वीकार परमा उप पंजीयक
भीलवाड़ा को दस्तावेज पंजीयन के आदेश
प्रभावित।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को
सुना तथा पत्रावली एवं पेश राजीनामे का


अध्ययन किया। उल्लूत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के द्वारा भोपाल गंज भीलवाड़ा में सख्तारी दरवाजे पर स्थित अपनी दुकान को अपीलान्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय की गई जिसका विक्रय का तैयार कराया जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक भीलवाड़ा के कार्यालय में दि० 05-07-2016 को पेश किया। दस्तावेज के पंजीयन हेतु उल्लूत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स उपास्थित नहीं हुए इस पर उप पंजीयक भीलवाड़ा के द्वारा दि० 30/9/2016 को धारा 36 में रेस्पोंडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किया परन्तु उपास्थित नहीं होने पर उप पंजीयक भीलवाड़ा पंजीयन अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत पुस्तक संख्या 2 में इनकार का नोट लगाकर दस्तावेज दि० 3-1-2017 को लौटा दिए गए।

उप पंजीयक भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 3-1-2017 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई थी। वर्तमान में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य दस्तावेज पंजीयन को लेकर सहमति बनने पर राजीनामा बाद तस्वीर दि० 31/10/2017 को पेश किया। चूंकि अपील नियत अवधि में पेश हुई है तथा दस्तावेज को पंजीयन कराने को पक्षकारान सहमत हैं ऐसी स्थिति में दस्तावेज पंजीयन को स्वीकृति दी जाती है तो राजकोष को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अतः उभयपक्ष द्वारा उल्लूत राजीनामा दि० 31/10/2017 को स्वीकार किया जाकर

बाद प्रमाणित शामिल पत्रावली किया जाता
है तथा उप पंजीयक भीलवाड़ा को आदेशित
किया जाता है कि पक्षकारों विक्रय पत्र
को पंजीयन हेतु 15 दिवस में आपके समक्ष
पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जावे तो उसे
पंजीयन के लिए पंजीयन अधिनियम की
धारा 74 के तहत पंजीयन किये जाने के
आदेश दिए जाते हैं। आदेशा लिखाया
जाकर भुगाया गया। पत्रावली प्रैसल
शुमार होकर गम्बर से कम ही।



जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा